फर्द अहकाम
(नियम 98)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (भीलवाड़ा)

श्यामलाल पिता लादू माळी नि. नराणा

बनाम

भैरी लाल पिता मादू माळी नि. नराणा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 733/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	खास व तारीख कागजात जो हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कि मेरे पिता जी के खाते की भूमि ग्राम नराणा प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 464/2 कुल किता 01 रकबा 0.8094 है. स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त मेरे द्वारा ही उक्त भूमि को काश्त किया जा रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थीगण पड़ौसीगण है जो कि प्रार्थी के साथ सीमा चिन्हों को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी के पड़ौसी काश्तकार है और आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हों की जानकारी नही होने के कारण प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम नराणा प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 464/2 कुल किता 01 रकबा 0.8094 है. की बरामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner